न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्याः–90 / 2018 / 75 एलआरक्ट

1. पुष्पादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री राजकुमार जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. मोनिका नाबालिग पुत्री स्व0 राजकुमार, जरिये कुदरतीवलिया माता श्रीमति पुष्पादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री राजकुमार जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मोहित नाबालिग पुत्र स्व0 राजकुमार, जरिये कुदरतीवलिया माता श्रीमति पुष्पादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री राजकुमार जाति जाट, निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
2. दर्शन सिहं पुत्र श्री सोहन सिहं, जाति कुम्हारसिख निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. गोविन्दराम पुत्र श्री त्रिलोकदास, जाति बेरागी निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. चुन्नीराम पुत्र श्री त्रिलोकदास, जाति बैरागी निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ।

––रेस्पोडैंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.01.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़, राजस्व वाद संख्या 90 / 2018

उपस्थित

1. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता — अपीलाटं
2. श्री मनीष शर्मा, राकेश दर्गन अधिवक्ता — रेस्पोडेंट सं0 2 से 4
3. श्री के0एस0 खोसा–राजकीय अधिवक्ता — रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–13.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट संख्या–2 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2016 की तिथि का एक प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 6 एसटीजी के पत्थर नम्बर–97 / 261 के किला नम्बर–5, 6, 15, 16, 25 में खाला स्वीकृत था तथा इस खाला का कोई उपयोग नहीं होने के कारण इस खाला को निरस्त किया जावे व इसके स्थान पर रास्ता स्वीकृत किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना–पत्र पर ना तो कोई पत्रावली मुर्तिब की व ना ही प्रभावित व्यक्तियों को कोई नोटिस दिये। अपीलांट संख्या–1 को रेस्पो0 सं0 2 से 4 द्वारा छुपे तौर पर की गई इस कार्यवाही का ज्ञान होने पर दिनांक 07.11.17 को पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियम 10 सीपीसी को पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र को भी फर्दअहकाम पर नहीं लिया तथा ना ही अपीलांट की सुनवाई की। अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वप्रथम आदेशिका दिनांक 23.01.2018 मुर्तिब कर अपीलाधीन आदेश पारित कर चक 6 एसटीजी के पत्थर नम्बर–97/261 के किला नम्बर–5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत गैरमुमकिन खाला को इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, द्वितीय हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक–राजस्व/2017/1321 दिनांक 31.05.2017 में इस जल मार्ग को राजस्व अभिलेख में मुमकिन दर्ज किये जाने की अभिशंसा की गई है। अपीलांट इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को तलब किया गया। अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 ता 4 स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 30.07.2018 को राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 ता 4 द्वारा संयुक्त रूप से राजीनामा मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का रेस्पोडेंट संख्या–2 से 4 के साथ हो चुका है। मुताबिक राजीनामा रेस्पोडेंट संख्या–2 से 4 ने चक 2 एसटीजी के पत्थर नम्बर–5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत खाला अधीनस्थ न्यायालय ने अधिशाषी अभियन्ता की अभिशंसा पर खारिज फरमाया है तथा प्रश्नगत खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करने के आदेश फरमाये है। अब अपीलांट उक्त मुमकिन भूमि को खातेदारी घोषित करवाना चाहते है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या–2 से 4 को कोई आपति नहीं है। अतः चक 6 एसटीजी के प.न. 97/261 मु.न. 3 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे मुमकिन के स्थान पर मुमकिन भूमि 0.025 है0 प्रत्येक किला के अपीलांट व अन्य की खातेदारी घोषित की जावे तो रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 ता 4 का राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 4 कथन किया गया कि ''रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 ने चक 2 एसटीजी के पत्थर नम्बर–5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत खाला जो अधीनस्थ न्यायालय ने अधिशाषी अभियन्ता की अभिशंसा पर खारिज फरमाया है तथा प्रश्नगत खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करने के आदेश फरमाये है। अब अपीलांट उक्त मुमकिन भूमि को खातेदारी घोषित करवाना चाहते हैं।'' ऐसी स्थिति प्रकरण मे कोई विवाद नही होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किये जाने मे उभय पक्ष सहमत होने के कारण मुताबिक चक 2 एसटीजी के पत्थर नम्बर–97/261 के किला नम्बर 5, 6,

Web Copy - Not Official

15, 16, 25 में प्रत्येक किला में 0.025 हेक्टेयर है, अपीलांट के कब्जा काश्त का किला नम्बर–25 व अन्य खातेदार के कब्जा के मुताबिक उनकी खातेदारी घोषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2018 में संशोधन करते हुये चक 2 एसटीजी के पत्थर नम्बर–97/261 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक किला में 0.025 हेक्टेयर मुमकिन को अपीलांट के कब्जा काश्त का किला नम्बर–25 व अन्य खातेदार की किला नम्बर 5, 6, 15, 16 के कब्जा के मुताबिक उनकी खातेदारी घोषित की जाती है तथा उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में पत्थर नम्बर–97/261 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक किला में ''0. 228 है0 मुमकिन'' के स्थान प्रत्येक किला ''0.253 हेक्टेयर मुमकिन'' दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश की पालना हेतु तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राथमिक डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

अपील संख्याः–267/2017/223 आरटीए व 268/2017/223 आरटीए

1. पूनमदेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री लक्ष्मण कुमार, आयु–37 वर्ष, जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
2. अंकिता नाबालिग पुत्री बउम्र–17 वर्ष –पिसरान स्व0 श्री लक्ष्मण कुमार,
3. दीपक नाबालिग पुत्र बउम्र–10 वर्ष जाति जाट, जरिये कुदरतीवलिया व माता श्रीमति पूनमदेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री लक्ष्मण कुमार, जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण संख्या–2 से 4––

बनाम

1. राय सिहं पुत्र श्री अमरचन्द, आयु–49 वर्ष, जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़––रेस्पोडेंट/वादी––
2. भूप सिहं पुत्र श्री अमरचन्द, जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक–
4. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक–
5. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक–
6. एस0बी0बी0जे0 शाखा नौंरगदेसर, जरिये शाखा प्रबन्धक–
7. भारतीय स्टेट बैंक (कृषि विकास) शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक–
8. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

–रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण–

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2017 व निर्णय दिनांक 08.05.2017 एवं अंतिम विभाजन डिक्री दिनांक 10.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़, राजस्व वाद संख्या 286/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट व श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल रेस्पोडेण्ट, श्री इन्द्राज गोदारा एवं राजकीय अधिवक्त श्री खुशकरणसिंह खोसा की और से पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में संशोधन करते हुये अपीलांट व रेस्पोडेंट के हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसील के जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है वह विभाजन प्रस्ताव मौका पर सभी खातेदारों को सूचित कर व उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है तथा न्यायदृष्टान्त डी.एन.जे. 2017 (रेवेन्यू) पृष्ठ 93 में प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार यह प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार किये जाने आवश्यक थे। अपीलांटव

रेस्पोडेंट के मध्य पारिवारिक बंटवारा दिनांक 06.05.2013 को भी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष छिपाया है। दौराने बहस अपीलांट ने पारिवारिक बंटवारा दिनांक 06.05.2013 के अनुसार मौका पर कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में चक 14 एम.डी. व चक 15 एनडीआर''बी'' व चक 18 एन.डी.आर. तथा चक 17 एनडीआर की फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिससे भी यह प्रकट है कि रेस्पोडेंट ने अंतिम विभाजन खाता विभाजन की डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख में जो प्रविष्टि करवाई है उसके अनुसार उसका कब्जा मौका पर नहीं है।

इन समस्त तथ्यों की रोशनी में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 10.05.2017 को अपास्त किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। मामला में विलम्ब न हो इसलिए दोनों पक्षों की सहमति से इसी अपील में तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वे प्रश्नगत भूमि के राजस्व अभिलेख की दिनांक 10.05.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुये पक्षकारों के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारा दिनांक 06.05.2013 को मध्य नजर रखते हुये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ स्वयं, गिरदावर, पटवारी हल्का स्वयं मौका पर जाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में मौका पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी–मन्दी, खाला, रास्ता को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 10.8.2018 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को निर्णय की प्रति की सहित आदेश जारी हो। पत्रावली इन्तजार विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 10.08.2018 को पेश हो।

(हरभान मीणा)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

क्रमांकः— **दिनांकः—**

तहसीलदार (राजस्व)

हनुमानगढ

विषयः— अपील संख्या—267/2017 व 268/2017 शीर्षक ''पूनमदेवी आदि बनाम राय सिहं आदि'' प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2018

उपरोक्त विषयक अपीलों में इस न्यायालय द्वारा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की है। इस पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.2018 की चित्रप्रति भिजवाई जा रही है। मुताबिक प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 10.08.2018 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्तानुसार

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official